तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील संख्या 286/20 धीरसिंह/जिला कलक्टर भरतपुर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
14.8.2023	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट उपस्थित नहीं और ना ही उनकी ओर से कोई वकील अथवा प्रतिनिधि उपस्थित आये। अपीलान्टस को कई बार आवाजे दिलवायी गई किन्तु वे उपस्थित नहीं आये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह जहिर है कि यह पत्रावली राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 की पालना में भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के पत्रांक 06 दिनांक 10.1.2020 से इस न्यायालय को प्राप्त हुई । यह पत्रावली न्यायालय हाजा में दर्ज होने से पूर्व न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर की आदेशिका दिनांक 12.12.2019 की रोशनी में बहस प्रार्थना पत्र नियत थी। इस न्यायालय में नियमानुसार पत्रावली दर्ज कर वकील उभयपक्ष को बहस प्रार्थना पत्र हेतु ताकीद की गई। दिनांक 4.1.2021 से 31.1.2023 तक वकील अपीलान्ट द्वारा निरन्तर बहस हेतु समय लिया जाता रहा है। अचानक गतादेशिका दिनांक 7.2.2023 की रोशनी में वकील अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में पैरवी से इन्कार करते हुये कोई सूचना अथवा हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया गया। ऐसी स्थिति में वकील अपीलान्ट की कोताही से किसी हितबद्ध पक्षकार के हित प्रभावित न हो इसी न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की न्यायिक मंशा के मध्यनजर अपीलान्टस को कार्यालय स्तर से नोटिस क्रमांक 197 दिनांक 13.2.2023 जारी किये गये जो बाद तामील शामिल फायल है, किन्तु बाबजूद सूचना अपीलान्टस नियत दिनांक को उपस्थित नहीं आये। पुनः कार्यालय स्तर से आदेशिका दिनांक 11.7.2023 की रोशनी में अपीलान्टस की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस क्रमांक 614 दिनांक 12.7.2023 जारी किये गये गये जिन्हें जारी किये हुये एक माह से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है किन्तु आज दिनांक तक कोई उपस्थित नहीं आया। स्वयं आदालत हाजा द्वारा काफी प्रयास किये जाने के उपरान्त भी अपीलान्टस का नियत दिनांक को उपस्थित नहीं आना, अपीलान्टस की ओर से या उनके वकील के द्वारा न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति हेतु दायित्वों का निर्भहन नहीं करना अपीलान्टस की अपील को आगे नहीं चलाये जाने की मंशा को जाहिर करता है। जबकि यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि अपने वाद को सिद्ध करने का पूर्ण–रूपेण दायित्व वादी का ही रहता है। आज भी अपीलान्ट को कई बार, बार–बार आवाजें दिलवायी गई किन्तु वे उपस्थित नहीं आये। उनका नियत दिनांक को बाबजूद सूचना उपस्थित न होना लम्बे समय से प्रकरण में कोई विधिवत पैरवी नहीं किया जाना उनकी प्रकरण को आगे न चलाये जाने की मंशा को दर्शाता है लिहाजा यह अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी एवं नॉन कम्पलायन्स में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। 14.8.2023 संभागीय आयुक्त भरतपुर	